उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : अगस्त 19 , 1998

संख्या : 3157/9–आ–1–1998

//कार्यालय ज्ञाप//

विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने विषय कार्यालय ज्ञाप संख्या :152/9–आ–1–1998 दिनॉक 15–1–1998 के प्रस्तर 5 (ख) के आंशिक संशोधन में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की उपधारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन यह निदेश देते हैं कि विकास प्राधिकरण की योजना के बाहर के शहरी क्षेत्र के मानचित्र हेतु प्राप्त विकास शुल्क तथा सुदृढ़ीकरण शुल्क की धनराशि, तत्सम्बन्धी कालोनी के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं जैसे कि ड्रेनेज, रोड, सीवर, मार्ग प्रकाश व जलापूर्ति की व्यवस्था पर ही व्यय की जायेगी।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

संख्या : 3157(1)/9–आ–1–1998 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(5) सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।
(7) आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
(8) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव